




प्र. सं. 2040/1/214
 दिनांक 11-10-17 की शर्तों के अनुसार अनुमोदित किया गया।

आस्तु कुमार वर्मा
 अभियंता
 लखनऊ


मुख्य अभियंता अधिकारी
 लखनऊ

- प्रतिबन्ध**
- भू-स्वामित्व तथा भूमि वाद-विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण को कोई विनिर्देश नहीं होगा। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, फिर भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के नाम है। प्रकल्प के दिन खसरा नम्बर का स्थानिय ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में रही है, उस भाग पर विकासकर्ता तक कोई निर्माण या विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि उस भाग का पूर्णतः/अधिकांश/भूमि का कार्यकारी विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
 - वर्तमान शासनपत्र के क्रम में लेन्ड क्लेयिग प्लान के अनुसार स्वामित्व अनिवार्य होगा।
 - शासनपत्र के अनुसार स्वतः पर प्रकल्प विवेकी निर्माण किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
 - लेन्ड क्लेयिग प्लान व सर्वेसैज प्लान के अनुसार स्वतः पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होंगे।
 - मुख्य अभियंता अधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।
 - पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
 - सेवादार इलेक्ट्रिक एवं सैलर वीटर सिस्टम का स्वतः पर अधिष्ठापन शासनपत्र के अनुसार पूर्ण करना होगा।
 - अपार्टमेंट एक्ट-2010, लेबर एक्ट का अनुपालन एवं निर्माण लागत का 1 प्रतिशत लेबर सेंस नियमानुसार जमा करना होगा।
 - स्वतः पर स्वीकृत रूप से विकसित व्यक्तियों हेतु रैप का निर्माण एवं ब्याचरहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
 - स्वतः पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी चुननापद लगाना होगा।
 - यदि कोई देनदारी निवृत्त है तो प्राधिकरण द्वारा मीने जाने पर अधिसूचना जमा करना होगा।
 - यदि माध्यम में ऐसी कोई बात प्रकल्प में आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई अन्य धुप कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबंध का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
 - मैकेनिकल पार्किंग हेतु पूर्ण स्वीकृत मानचित्र के सम्यक् प्रस्तुत बैंक गारण्टी की अथवा निवृत्त समयावधि अनर्पित बंधन कर संशोधित बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी होगी।

भवन निर्माण प्रारंभ होने तक भवन और विकास अधिकारी द्वारा की गई सभी स्वीकृतियाँ अंतिम स्वीकृतियाँ हैं। विकास कार्य पूर्ण होने तक भवन निर्माण कार्य रुकना चाहिए।



FRONT ELEVATION



REAR ELEVATION

DRAWING TITLE	
SUBMISSION DRAWING	
ELEVATION & SECTION OF 3 BK UNIT-7B	
ARCHITECT	
DEEPAK VASHISHTA	
SCALE	DATE
1:100	SEP-2017
यह मानचित्र लखनऊ नगरपालिका 2031 तथा भवन अधिनियम 2008 तथा समक शासनपत्रों के अनुसार तैयार किया गया है।	
CLIENT OWNERS	
OMAXE (Turning dreams into reality.)	
OMAXE LTD CIBER TOWER/IND FLOOR,TC-3442 VIBHUTI KHAND,GOMTI NAGAR LUCKNOW-226011 CALL: 0522-4813000,4000173	
ARCHITECT'S SIGNATURES	OWNER'S SIGNATURES
DRAWING NUMBER- INT./JKO/HS/3/SUB-49/2	